रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2655] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937
No. 2655] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3341(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

नालसरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात के अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर जिले में स्थित है और 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और यह अभयारण्य देश के सबसे बड़े प्राकृतिक नमभूमियों में से एक है, जिसका विस्तार वर्षा पर निर्भर करता है और जिसकी अधिकतम गहराई बाढ के समय लगभग 1.5-2.0 मीटर होती है ;

और इस अभयारण्य में पानी मुख्यत: दो नदियों अर्थात् ब्राहमिणी और भोगावों से प्राप्त होता हैं, साथ ही इसमें पानी 3000 वर्ग किनोमीटर में फैले आवाह क्षेत्र से भी आता है जिसमें गांधी नगर जिले का कालोल तालुका, मेहसाणा जिले का कादी तालुका और अहमदाबाद जिले का सनसाद, वीरामगम तथा बखला तालुका और सुरेन्द्रनगर जिले का लाखतर एवं लिमडी तालुका शामिल हैं ;

और नालसरोवर अभयारण्य में विविध प्रकार के पर्यावास हैं अर्थात् खुले जल क्षेत्र, दलदल, नरकट-तल और द्वीप समूह-इस अभयारण्य में 300 से भी अधिक द्वीप हैं जो पानी के स्तर के नीचे जाने पर दिखाई पड़ते हैं;

और नालसरोवर अभयारण्य में विविध प्रकार के अनेक पर्यावास होने के कारण यहां पक्षियों की 226 प्रजातियां, सारस क्रेन, इंडियन स्किमर, एशियाई जंगली गधे और भेडिये जैसे पक्षियों तथा स्तनधारियों की वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों सहित मछली की 20 प्रजातियां और स्तनधारियों की 13 प्रजातियां विद्यमान हैं ;

और इस अभयारण्य में शैवाल की लगभग 50 प्रजातियां तथा फूलदार पौधों के 72 से भी अधिक प्रकारों सहित प्रचुर संख्या में जलीय वनस्पति विद्यमान हैं;

और इस अभयारण्य में ग्रीब्स, पेलिकन, बतख एवं कलहंस, रेल, कूट, क्रेक, जकाना, जलकौबा, बगुला, एग्रेट बिटर्न, स्टॉर्क, बुज्जा, स्पूनबिल फ्लेमिंगों, क्रेन, वाडर, शोरबर्ड, गल, टर्न किंगफिशर, वैगटेल पिपिट, गरूड़, हैरियर जैसी प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों सहित अनेक जल पक्षियों का पोषण होता है।

और अपने बड़े आकार और उल्लेखनीय प्रजाति प्रचुरता के साथ-साथ जलीय पक्षियों की बहुतायत के कारण नालसरोवर पक्षी अभयाण्य को रामसर कन्वेंशन के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमि के रूप में मान्यता देकर इसे रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ;

और, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में नालसरोवर पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात में नालसरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा 2.35 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नालसरोवर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर जिले में स्थित है।

(2) अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 2.35 से 13 किलोमीटर तक है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है और अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) राज्य सरकार द्वारा आगे आंचलिक महायोजना तैयार करते समय **उपाबंध III** में दिए गए ग्रामों की सूची पर पुनर्विचार और पुष्ट किया जाएगा।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास ;
(viii) सिंचाई और खाद्य नियंत्रण ;
(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज ;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिनपर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं। पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 17, 21, 26 और 28 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण;
(ii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग,
(iii) वर्षा जल संचयन, और
(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** —आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा पर्यावरण और वन विभाग, गुजरात सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन मार्गनिदेशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय नालसरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसार्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग के अनुसार वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग के अनुसार वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट—**ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां** —(क) विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित विद्यमान उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	नालसरोवर पक्षी अभयारण्य में जल के बहाव का अवरोध।	नालसरोवर पक्षी अभयारण्य में जल के बहाव को पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी भी माध्यम से रोका, विपथित या अवरोधित नहीं किया जाएगा।
(2)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(3)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(5)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय वन्यजीव अभयारण्य के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ; परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा की दृष्टि से केवल पूर्वपरिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में नए होटलों और रिसोर्टों का स्थापन अनुज्ञात होगा;
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	नए बृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

(8)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को तत्काल प्रभाव से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :
(11)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबल को बढ़ावा देना। 11 के.वी. और अधिक के किसी शीर्ष ऊपरी पारेषण लाइनों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
(15)	पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(18)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	(क) नदी के दोनों ओर 100 मीटर के भीतर प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण प्रतिसिद्ध होगा। तथापि, अन्य मामलों में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। (ख) उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रीकरण को प्रोजेक्ट किया जाएगा और मैले या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा।
(19)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(21)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) स्थानीय लोगों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अपने रिहायसी उपयोग के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन में जीएएमटीएल/ग्राम भूमि या फार्म भूमि में अपने मकान और पम्प हाउस बनाने की जहां कहीं लागू हो निम्नलिखित रीति से अनुज्ञा दी जाएगी : स्थानीय लोग अपने मकान, भूमि तल और दो तल की ऊंचाई तक बना सकते हैं किंतु आवरित क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र के 30 प्रतिशित से अधिक न हो। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई वाणिज्यिक निर्माण नहीं किया

		जाएगा : परंतु यह और कि मद सं. 26 और 29 पर वर्णित स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों से संबंधित निर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी : परंतु यह भी कि मद सं. 21 पर वर्णित स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप से संबंधि निर्माण को विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम तक रखा जाएगा । (ग) सभी संनिर्माण क्रियाकलाप लागू विधियों और प्रवृत्त विनियमों के अधीन होंगे ।
(22)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
(24)	डेयरी, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	लागू विधियों के अधीन अनुमत ।
(25)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(26)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(27)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(28)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(29)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाईट आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, असम राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) कलक्टर, सुरेन्द्रनगर - अध्यक्ष ;

(ii) कलक्टर का प्रतिनिधि, अहमदाबाद – सदस्य ;

(iii) गुजरात सरकार के पर्यावन और वन विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य ;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य ;

(v) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, (जो पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है) जिसे गुजरात सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(vi) गुजरात सरकार के संस्थान और विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी/वन्यजीव/ पछियों के एक विशेषज्ञ गुजरात सरकार द्वारा (प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए) नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(vii) उप वन संरक्षक, (अभयारण्य का भारसाधक), नालसरोवर पक्षी अभयारण्य - सदस्य-सचिव ।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का भारसाधक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/89/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

उत्तर	:	अहमदाबाद जिले के विरंगम तालुका में शाहपुर गांव सुरेन्द्रनगर जिले के लिमडी तालुका में नानीकाथेची गांव
दक्षिण	:	सुरेन्द्रनगर जिले के लिमडी तालुका में दिग्विजयगढ़ गांव अहमदाबाद जिले के बावला तालुका में मिठापुर गांव
पूर्व	:	अहमदाबाद जिले के विरमगम तालुका के कायला और विकारिया गांव की सीमाएं तथा बावला तालुका के मेनी, धुरगी और सिएल गांव की सीमाएं
पश्चिम	:	सुरेन्द्रनगर जिले के लिम्बडी तालुका में धीरजगढ़, पारेली, मुलबावला, राणागढ़ और नानीकाथेची गांव की सीमाएं

उपाबंध II

निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र

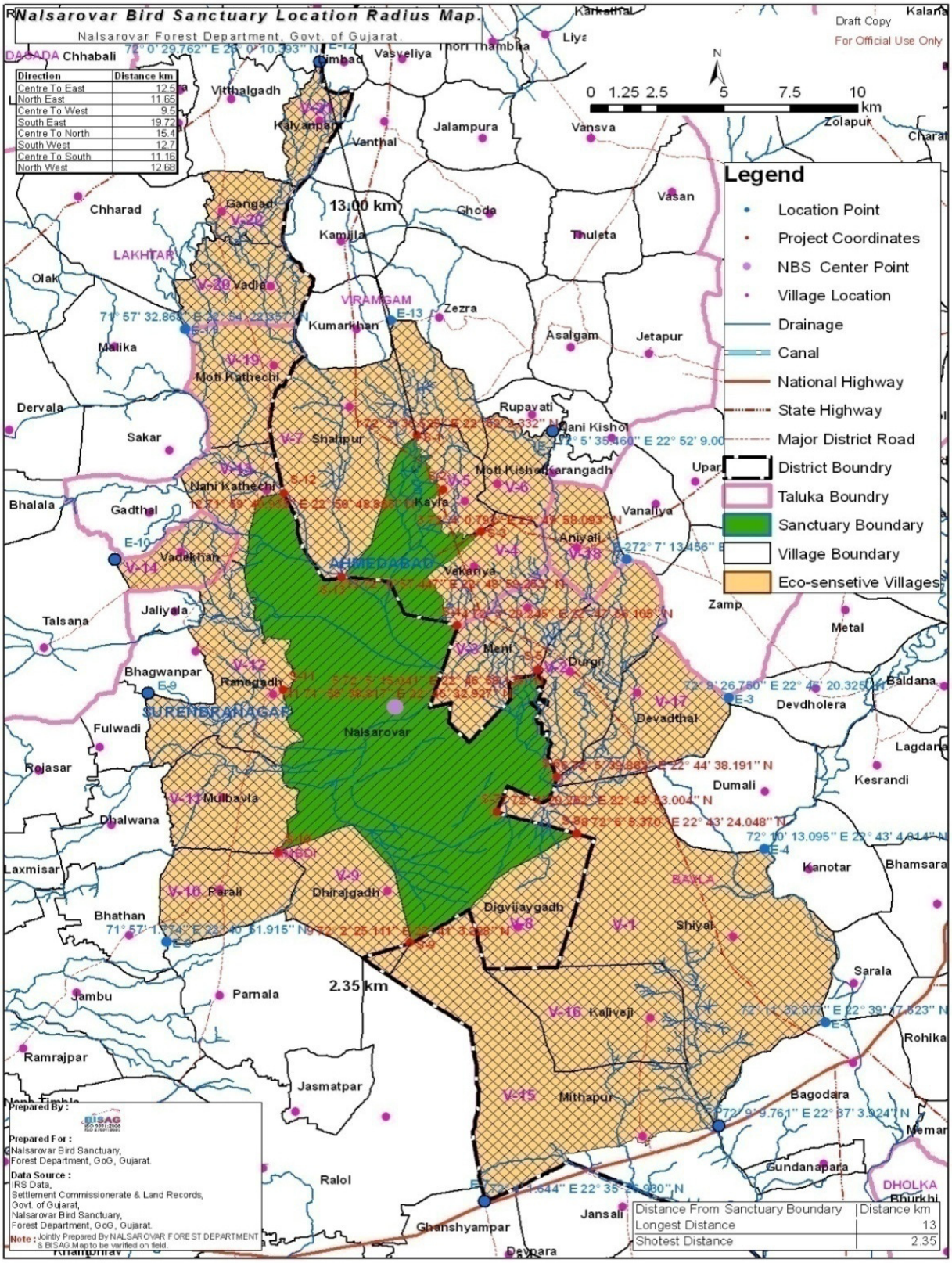

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के चारों ओर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के अक्षांश और देशांतर

नाम	अक्षांश	देशांतर
क	72° 5' 35.460" पूर्वी	22° 52' 9.002" उत्तरी
ख	72° 9' 26.750" पूर्वी	22° 46' 20.325" उत्तरी
ग	72°10' 13.095" पूर्वी	22° 43' 4.014" उत्तरी
घ	72° 11' 32.077" पूर्वी	22° 39' 17.523" उत्तरी
ड.	72° 9' 9.761" पूर्वी	22° 37' 3..924" उत्तरी
च	72° 4' 4.644" पूर्वी	22° 35' 26.930" उत्तरी
छ	71° 57' 1.774" पूर्वी	22° 40' 51.915" उत्तरी
ज	71° 56' 41.046" पूर्वी	22° 46' 26.290" उत्तरी
झ	71° 55' 58.085" पूर्वी	22° 49' 23.093" उत्तरी
ञ	71° 57' 32.868" पूर्वी	22° 54' 22.357" उत्तरी
ट	72° 0' 29.762" पूर्वी	23° 0' 10.393" उत्तरी
ठ	72° 2' 4.092" पूर्वी	22° 54' 33.631" उत्तरी

उपाबंध-III

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	तालुका/जिला	अक्षांश	देशांतर
1.	शियाल	बावला, अहमदाबाद	22°41'10.228" उत्तरी	72°9'29.439" पूर्वी
2.	धरजी (दुरगी)	बावला, अहमदाबाद	22°46'51.831" उत्तरी	72°6'0.511" पूर्वी
3.	मेनी	बावला, अहमदाबाद	22°48'15.225" उत्तरी	72°5'4.261" पूर्वी
4.	वेकरिया	विरमगम, अहमदाबाद	22°49'97.56" उत्तरी	72°3'51.990" पूर्वी
5.	काएला	विरमगम, अहमदाबाद	22°50'37.344" उत्तरी	72°3'42.899" पूर्वी
6.	मोती किशोल	विरमगम, अहमदाबाद	22°50'58.752" उत्तरी	72°2'21.257" पूर्वी
7.	शाहपुर	विरमगम, अहमदाबाद	22°52'4.463" उत्तरी	72°1'10.888" पूर्वी
8.	दिग्विजयगढ़	लिमडी, सुरेन्द्रनगर	22°41'25.643" उत्तरी	72°4'47.729" पूर्वी
9.	धीरजगढ़	लिमडी, सुरेन्द्रनगर	22°42'8.181" उत्तरी	72°0'33.275" पूर्वी
10.	पराली	लिमडी, सुरेन्द्रनगर	22°42'13.782" उत्तरी	71°58'15.953" पूर्वी
11.	मूल बावला	लिमडी, सुरेन्द्रनगर	22°44'12.554" उत्तरी	71°56'19.566" पूर्वी
12.	राणागढ़	लिमडी, सुरेन्द्रनगर	22°46'27.113" उत्तरी	71°59'26.656" पूर्वी
13.	नानी काथेची	लिमडी, सुरेन्द्रनगर	22°50'52.526" उत्तरी	71°59'22.441" पूर्वी
14.	वेदेखन	लखातर, सुरेन्द्रनगर	22°49'32.750" उत्तरी	71°57'26.324" पूर्वी
15.	मीठापुर	बावला, अहमदाबाद	22°36' 53.509" उत्तरी	72°7' 28.733" पूर्वी
16.	कालीवेजी	बावला, अहमदाबाद	22°39' 24.633" उत्तरी	72°7' 39.324" पूर्वी
17.	देवलथल	बावला, अहमदाबाद	22°46' 29.869" उत्तरी	72°7' 26.336" पूर्वी
18.	अनियाली	सानान्द, अहमदाबाद	22°49' 35.237" उत्तरी	72°6' 5.533" पूर्वी
19.	मोती काथेची	लिमडी, सुरेन्द्रनगर	22°53' 34.856" उत्तरी	71°59' 27.589" पूर्वी
20.	वडाला	लखातर, सुरेन्द्रनगर	22°54' 22.357" उत्तरी	71°57' 32.868" पूर्वी
21.	कल्याणपुरा	लखातर, सुरेन्द्रनगर	22°58' 22.862" उत्तरी	71°00' 32.481" पूर्वी
22.	गंगद	लखातर, सुरेन्द्रनगर	22°56' 22.939" उत्तरी	71°58' 32.245" पूर्वी

नलसरोवर पक्षी अभ्यारण्य, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत प्रस्तावित ह्रासमान ग्रामों का वितृत वर्णन

क्र. सं.	ग्रामों का नाम	तालुक/जिला	सर्वेक्षण संख्या (कुल)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)				टिप्पणी
				वन	गैर-वन	सरकारी बंजर भूमि	कुल	
					निजी भूमि क्षेत्र	गऊचर		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	मीठापुर	बावला/अहमदाबाद	1160	0.00	4975.75	0.00	4975.75	अहमदाबाद जिला
2	कलीवेजी	बावला/अहमदाबाद	352	0.00	1620.72	1319.08	2939.8	
3	शीयल	बावला/अहमदाबाद	794	0.00	2098.26	7256.53	9354.79	
4	देवस्थल	बावला/अहमदाबाद	381	0.00	1494.99	332.45	1827.44	
5	धरजी (दुर्गा)	बावला/अहमदाबाद	324	0.00	2108.73	0.00	2108.73	
6	मैनी	बावला/अहमदाबाद	335	0.00	1824.86	56.76	1881.62	
7	अनीयली	सानंद/अहमदाबाद	224	0.00	967.32	1.07	968.39	
8	वेकरिया	वीरमगम/अहमदाबाद	882	0.00	903.84	108.01	1011.85	
9	कयला	वीरमगम/अहमदाबाद	296	0.00	1187.35	611.57	1798.92	
10	मोतीकीशोल	वीरमगम/अहमदाबाद	507	0.00	792.78	0.00	792.78	
11	शाहपुर	वीरमगम/अहमदाबाद	808	0.00	3725.59	213.88	3939.47	
12	दीगविजयगढ	लीमदी/सुरेन्द्रनगर	152	0.00	1542.65	0.00	1542.65	सुरेन्द्रनगर जिला
13	धीरजगढ	लीमदी/सुरेन्द्रनगर	74	0.00	1633.10	0.00	1633.1	
14	पाराली	लीमदी/सुरेन्द्रनगर	512	0.00	1461.91	2374.52	3836.43	
15	मुलबावला	लीमदी/सुरेन्द्रनगर	457	0.00	1502.67	0.00	1502.67	
16	रानागढ	लीमदी/सुरेन्द्रनगर	1357	0.00	2017.71	50.00	2067.71	
17	नानीकथेची	लीमदी/सुरेन्द्रनगर	554	0.00	814.59	0.00	814.59	
18	मोतीकथेची	लीमदी/सुरेन्द्रनगर	573	0.00	1485.80	4083.29	5569.09	
19	वदेखान	लाखातर/सुरेन्द्रनगर	260	0.00	798.22	5348.96	6147.18	
20	वाडला	लाखातर/सुरेन्द्रनगर	602	162.34	1189.22	3233.36	4584.92	
21	कल्याणपुर	लाखातर/सुरेन्द्रनगर	240	196.31	434.38	5226.54	5857.23	
22	गंगाड	लाखातर/सुरेन्द्रनगर	393	0.00	796.38	0.00	796.38	
			योग	**358.65**	**35376.82**	**30216.02**	**65951.49**	

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति— की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान -

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों के कार्यवृत्त: उल्लेखनीय बिन्दुओं का उल्लेख करें अलग उपाबंध पर बैठकों के कार्यवृत्त संलग्न करें।
3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की स्थिति।
4. भूमि अभिलेख के ऊपर स्पष्ट त्रुटि के संशोधन हेतु निस्तारित मामलों का सारांश उपाबंध के रूप में विवरण संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल न किए गए कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश।
   उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं।

7. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

S.O. 3341(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, Nalsarovar Bird Sanctuary is located in Ahmedabad and Surendranagar districts of Gujarat and is spread over an area of 120 square kilometer;

And whereas, the sanctuary is one of the largest natural wetlands in the country the extent of which varies depending upon the rainfall and which has maximum depth of about 1.5 - 2.0 meters when flooded;

And whereas, the sanctuary receives water mainly from two rivers viz. Brahmini and Bhogavo and also recives rain water from a catchment area spread over 3000 square kilometers comprising of Kalol Taluka of Gandhinagar district, Kadi Taluka of Mehsana district and Sanand, Viramgam and Bavla Taluka of Ahmedabad district and Lakhtar and Limdi Taluka of Surendranagar district;

And whereas, the Nalsarovar sanctuary has varied habitat types viz. open water areas, marshes, reed-beds and islands - there are more than 300 islands in the sanctuary which get exposed when water level recedes;

And whereas, due to wide variety of habitats the Nalsarovar Sanctuary harbours 226 bird species, 20 species of fish and 13 species of mammals including globally threatened species of birds and mammals such as Sarus crane, Indian Skimmer, Asiatic Wild Ass and Wolf;

And whereas, the sanctuary has rich aquatic flora with nearly 50 species of algae and over 72 types of flowering plants;

And whereas, the sanctuary supports many water birds including migratory and local bird species like Grebes, Pelicans, Ducks & Geese, Rails, Coots, Crakes, Jacanas, Cormorants, Herons, Egrets, Bittern, Storks, Ibises, Spoonbill, Flamingos, Cranes, Waders, shorebirds, Gulls, Terns, Kingfishers, Wagtails, Pipits, Eagles, Harriers;

And whereas, owing to its large size and remarkable species richness as well as abundance of aquatic birds, Nalsarovar Bird Sanctuary has been designated as a Ramasar site recognizing it as a Wetland of International Importance under the Ramsar Convention;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which specified in paragraph 1 of this notification, around the Nalsarovar Bird Sanctuary as Eco sensitive zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying up to 13 kilometers from the boundary of the Nalsarovar Bird Sanctuary in the State of Gujarat, as Nalsarovar Bird Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone is located in the districts of Ahmedabad and Surendranagar.

(2) The extent of Eco-sensitive Zone ranges from 2.35 kilometer to 13 kilometers from the boundary of the Sanctuary.

(3) The description of boundary of Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure I** and the map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes – longitudes is appended as **Annexure II.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure III.**

(5) The list of villages given in Annexure-III shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:—

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal,
(x) Panchayati Raj,
(xi) Public Works Department,

for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, need of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential need of the local residents, and for the activities listed at item numbers 17, 21, 26 and 28 specified under column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
(ii) Small scale industries not causing pollution,
(iii) Rainwater harvesting, and
(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Gujarat in consultation with Department of Environment and Forests, Government of Gujarat.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Nalsarovar Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Obstruction of inflow of water into Nalsarovar Bird Sanctuary.	Inflow of water into Nalsarovar Bird Sanctuary shall not be stopped, diverted or obstructed by any means within the Eco-sensitive Zone.
2.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
3.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts.	New commercial establishment such as hotels and resorts shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone with immediate effect.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall be prohibited within the limits of Eco-sensitive Zone with immediate effect.
11.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.

		(b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling. No over head 11 KV and above transmission lines shall be permitted
15.	Tourism.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	(a) Discharge of treated effluents in natural water bodies and terrestrial area within 100 metre on either side of the river shall be prohibited. However in other cases the discharge of treated effluent and disposal of solid waste shall be regulated as per applicable laws. (b) Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
19.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
20.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
21.	Construction activities	(a) Local people shall be permitted to construct their houses and pump house in GAMTAL/village land or farmland, in the Eco-sensitive Zone, for their residential use with the prior permission from the competent authority, wherever applicable in the following manner: The local people can build there house up to Ground floor plus two floor in height not covering more than 30 % of the total land area. (b) There shall be no commercial construction in the Eco-sensitive Zone: Provided further that construction related to activities listed in column (2) mentioned at item numbers 26, and 29 shall be permitted: Provided also that construction related to activity listed in column (2) mentioned at item number 21, shall be regulated and kept at the minimum. (c) All construction activity shall be subject to applicable laws and regulations in force.
22.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
23.	Air and Vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
25.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
26.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
27.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

28.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
29.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc., to be promoted

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) Collector, Surendranagar - Chairman;

(ii) Representative of Collector, Ahmadabad–Member;

(iii) Regional Officer, State Pollution Control Board - Member;

(iv) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of nature conservation to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of one year in each case)– Member;

(v) One expert in Ecology/wildlife/birds from reputed Institution or University of the State of Gujarat to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of one year in each case) - Member;

(vi) Deputy Conservator of Forests, (Incharge of the Sanctuary), Nalsarovar Bird Sanctuary – Member-Secretary

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/89/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Description of Boundaries of proposed ESZ

North	**:**	Shahpur village in Viramgam taluka of Ahmedabad district. Nanikathechi Village in Limdi taluka of Surendranagar district.
South	**:**	Digvijaygadh village in Limdi taluka of Surendranagar district. Mithapur Villages in bavla taluka of Ahmedabad district.
East	**:**	Village boundaries of Kayla and Vekaria of Viramgam taluka and Meni, Dhurgi & Shiyal villages of Bavla taluka of Ahmedabad district.
West	**:**	Village boundaries of Dhirajgath, Parali, Mulbavla, Ranagadh & Nanikathechi in Limbdi taluka of Surendranagar district.

ANNEXURE-II

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates

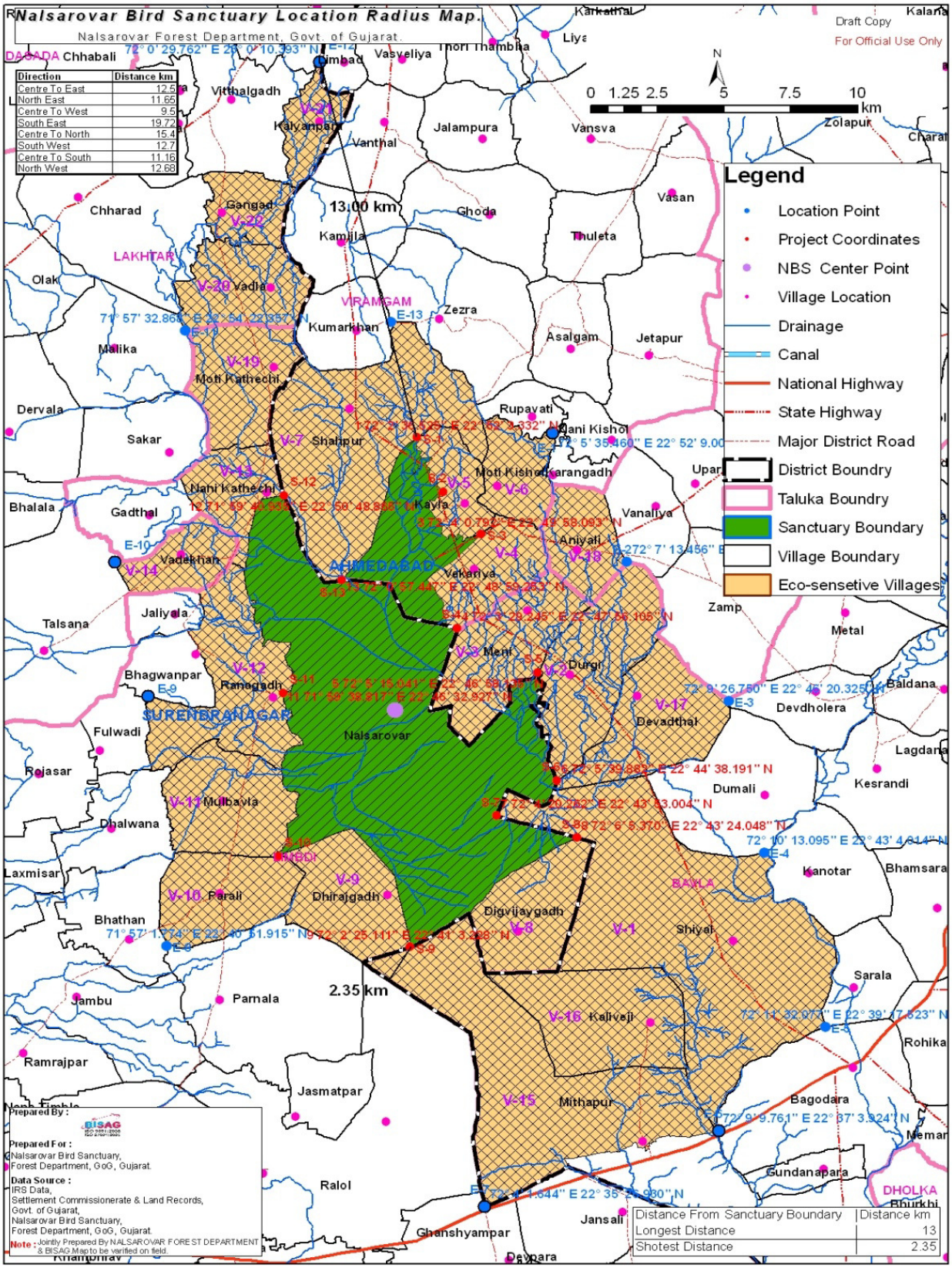

Latitudes and longitudes of NBS Surrounding Eco Sensitive zone

Name	Lat	Long
A	72 5' 35.460" E	22 52' 9.002" N
B	72 9' 26.750" E	22 46' 20.325" N
C	72 10' 13.095" E	22 43' 4.014" N
D	72 11' 32.077" E	22 39' 17.523" N
E	72 9' 9.761" E	22 37' 3..924" N
F	72 4' 4.644" E	22 35' 26.930" N
G	71 57' 1.774" E	22 40' 51.915" N
H	71 56' 41.046" E	22 46' 26.290" N
I	71 55' 58.085" E	22 49' 23.093" N
J	71 57' 32.868" E	22 54' 22.357" N
K	72 0' 29.762" E	23 0' 10.393" N
L	72 2' 4.092" E	22 54' 33.631" N

Annexure III

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Sr No	Name of Village	Taluka/ District	Lat.	Long.
1	2	3	4	5
1.	Shiyal	Bavla, Ahmedabad	22^0 41’10.228” N	72^0 9’29.439” E
2.	Dharji (Durgi)	Bavla, Ahmedabad	22^0 46’51.831” N	72^0 6’0.511” E
3.	Meni	Bavla, Ahmedabad	22^0 48’15.225” N	72^0 5’4.261” E
4.	Vekriya	Viramgam, Ahmedabad	22^0 49’97.56” N	72^0 3’51.990” E
5.	Kayla	Viramgam, Ahmedabad	22^0 50’37.344” N	72^0 3’42.899” E
6.	Moti Kishol	Viramgam, Ahmedabad	22^0 50’58.752” N	72^0 2’21.257” E
7.	Shahpur	Viramgam, Ahmedabad	22^0 52’4.463” N	72^0 1’10.888” E
8.	Digvijaygadh	Limdi, Surendranagar	22^0 41’25.643” N	72^0 4’47.729” E
9.	Dhirajgadh	Limdi, Surendranagar	22^0 42’8.181” N	72^0 0’33.275” E
10.	Parali	Limdi, Surendranagar	22^0 42’13.782” N	71^0 58’15.953” E
11.	Mul Bavla	Limdi, Surendranagar	22^0 44’12.554” N	71^0 56’19.566” E
12.	Ranagadh	Limdi, Surendranagar	22^0 46’27.113” N	71^0 59’26.656” E
13.	Nani Kathechi	Limdi, Surendranagar	22^0 50’52.526” N	71^0 59’22.441” E
14.	Vadekhan	Lakhatar, Surendranagar	22^0 49’32.750” N	71^0 57’26.324” E
15.	Mithapur	Bavla, Ahmedabad	22^0 36’ 53.509” N	72^0 7’ 28.733” E
16.	Kaliveji	Bavla, Ahmedabad	22^0 39’ 24.633” N	72^0 7’ 39.324” E
17.	Devalthal	Bavla, Ahmedabad	22^0 46’ 29.869” N	72^0 7’ 26.336” E
18.	Aniyali	Sanand, Ahmedabad	22^0 49’ 35.237” N	72^0 6’ 5.533” E
19.	Moti Kathechi	Limdi, Surendrangar	22^0 53’ 34.856” N	71^0 59’ 27.589” E
20.	Vadala	Lakhatar, Surendranagar	22^0 54’ 22.357” N	71^0 57’ 32.868” E
21.	Kalyanpura	Lakhatar, Surendranagar	22^0 58’ 22.862” N	71^0 00’ 32.481” E
22.	Gangad	Lakhatar, Surendranagar	22^0 56’ 22.939” N	71^0 58’ 32.245” E

Details of the Proposed Villages falling within the boundary of Eco-Sensitive Zone.– Nalsarovar Bird Sanctuary

Sr. No.	Name of Village	Taluka/District	Survey No. (Total)	Area (in ha.)				Remarks
				Forest	Non-Forest	Govt. Waste Land &	Total	
					Private Land Area	Gauchar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mithapur	Bavla/Ahmedabad	1160	0.00	4975.75	0.00	4975.75	Ahmedabad Dist.
2	Kaliveji	Bavla/Ahmedabad	352	0.00	1620.72	1319.08	2939.8	
3	Shiyal	Bavla/Ahmedabad	794	0.00	2098.26	7256.53	9354.79	
4	Devalthal	Bavla/Ahmedabad	381	0.00	1494.99	332.45	1827.44	
5	Dharji (Durgi)	Bavla/Ahmedabad	324	0.00	2108.73	0.00	2108.73	
6	Meni	Bavla/Ahmedabad	335	0.00	1824.86	56.76	1881.62	
7	Aniyali	Sanand/ Ahmedabad	224	0.00	967.32	1.07	968.39	
8	Vekriya	Viramgam/ Ahmedabad	882	0.00	903.84	108.01	1011.85	
9	Kayla	Viramgam/ Ahmedabad	296	0.00	1187.35	611.57	1798.92	
10	MotiKishol	Viramgam/ Ahmedabad	507	0.00	792.78	0.00	792.78	
11	Shahpur	Viramgam/ Ahmedabad	808	0.00	3725.59	213.88	3939.47	
12	Digvijaygadh	Limdi/Surendranagar	152	0.00	1542.65	0.00	1542.65	Surendranagar Dist.
13	Dhirajgadh	Limdi/Surendranagar	74	0.00	1633.10	0.00	1633.1	
14	Parali	Limdi/Surendranagar	512	0.00	1461.91	2374.52	3836.43	
15	Mul Bavla	Limdi/Surendranagar	457	0.00	1502.67	0.00	1502.67	
16	Ranagadh	Limdi/Surendranagar	1357	0.00	2017.71	50.00	2067.71	
17	Nani Kathechi	Limdi/Surendranagar	554	0.00	814.59	0.00	814.59	
18	Moti Kathechi	Limdi/Surendranagar	573	0.00	1485.80	4083.29	5569.09	
19	Vadekhan	Lakhatar/Surendranagar	260	0.00	798.22	5348.96	6147.18	
20	Vadla	Lakhatar/Surendranagar	602	162.34	1189.22	3233.36	4584.92	
21	Kalyanpura	Lakhatar/Surendranagar	240	196.31	434.38	5226.54	5857.23	
22	Gangad	Lakhatar/Surendranagar	393	0.00	796.38	0.00	796.38	
			TOTAL	**358.65**	**35376.82**	**30216.02**	**65951.49**	

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.